राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	519/2018 कैलाशचन्द बनाम गौरा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/2020	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित । रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस किये जाने का कथन करते हुये लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद घोषणा, खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी की माता सोहनी देवी उर्फ़ प्रभाती तथा पिता गंगाराम व प्रतिवादी छगनलाल एक ही परिवार के सदस्य है जो श्योराम के विधिक वारिस है किन्तु राजस्व रिकार्ड में सोहनी देवी का नाम प्रभाती देवी विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया गया, सोहनी देवी की दिनांक 11/11/01 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिस वादीगण होने से विरासत अनुसार खातेदारी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहते हुये पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/05/2018 पारित करते हुये वादी का वाद सिद्ध नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने इ यह जाहिर होता है कि विचाराधीन घोषणा, खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज के वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में नियत कर पक्षकारान/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित करते हुये ख़ारिज कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित होना स्पष्ट होता है । विधिक प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत में सहमति से प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक ह ओता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ही कर पक्षकारान/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सरसरी तौर पर एक ही वाद को ख़ारिज करने में विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है । अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/05/2018 को निरस्त किया जाकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द बनाम गौरा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	379/2018	

प्रकरण अधीनस्थ न्यायलय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसमत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर